(33)

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली / विनियागॉव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (कुल लम्बाई 35.600)।

जनपद पिथौरागढ़ में जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली / विनियागॉव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के पत्रांक संख्या NH-12037/28 /2018 /SARDP-NE/Zone-V, Dt. 12-09-2019 के अंतर्गत प्राप्त है, जिसमें कि किमी0 72.00 से 107.60 तक मोटर मार्ग के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति पत्रांक सं0 RW/NH- 37011/ 37/2018-BP&SP (Part V) , Dt. 18-09-2020 द्वारा 35.60 किमी0 रू0 603.92 करोड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त मार्ग की लम्बाई 35.60 किमी0 है यह मार्ग 1980 वन अधिनियम से पूर्व में 9.00 मी0 चौ0 में पूर्व निर्मित है। वर्तमान में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, सड़क सीमा संगठन के पक्ष में मार्ग का चौड़ीकरण व सुधारीकरण का कार्य किया जाना है जिसमें 15.00 मीटर चौड़ाई के अनुसार 19.305 हे0 राज्य भूमि, 9.165 हे0 वन पंचायत भूमि तथा 05 मी0 चौ0 के अनुसार 8.31 हे0 नाप भूमि प्रभावित होती है। मलवा निस्तारण हेतु 1.22 हे0 सिविल भूमि ली गई है, इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 29.69 हे0 सिविल सोयम भूमि प्रभावित होती है। मोटर मार्ग के निर्माण में ढुंगातोली, बलुवाकोट, छारछुम, जुम्मा, कालिका, रॉथी तथा स्यॉकुरी ग्रामों की कुल **19210** जनसंख्या लाभान्वित होगी।

चूँकि पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है अतः अन्य किसी विकल्पों में विचार किया जाने की आवश्यकता नही है। भारत–चीन सीमा मोटर मार्ग होने एवं मार्ग में आवागमन की सुगमता हेतु मार्ग को बनाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार मार्ग की नितान्त आवश्यकता के कारण मार्ग का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है। ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील – धारचूला
(सुरेन्द्र सिंह धामी)

11/11/21
(ANKIT AGARWAL)
AB/AEE/Capt
Offg Officer Commanding
67 RCC(GREF)

तहसीलदार
धारचूला